बिहार सरकार
सहकारिता विभाग।

अधिसूचना

पटना–15, दिनांक 24.01.17

सं.सं.–8 / नि.को.(रा.)विभागीय–705 / 2015 274 / श्री संजय कुमार झा, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, अररिया सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध अनुशासनहीनता बरतने, मुख्यालय से बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने, विभागीय बैठक में भाग नहीं लेने, उच्चाधिकारियों के आदेश का उल्लंघन करने, कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने, कार्यालय का रोकड़ बही अद्यतन न रखकर वित्तीय अनियमितता बरतने के आरोप में विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 2074, दिनांक 25.06.2015 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2080, दिनांक 25.06.2015 द्वारा उनके विरूद्ध आरोप पत्र (प्रपत्र–क) गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी । जिसमें निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था ।

2– इस संदर्भ में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 5460, दिनांक 16.06.2016 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन / अधिगम में श्री झा के विरूद्ध गठित आरोप सं.–1 जो अनधिकृत अनुपस्थिति एवं बिना कार्य के वेतन की निकासी से संबंधित है, प्रमाणित नहीं पाया गया । आरोप सं.–2 उच्चाधिकारियों के आदेशोल्लंघन एवं अनुशासनहीनता से संबंधित है आंशिक रूप से प्रमाणित एवं आरोप संख्या–3 जो कार्यालय के रोकड़ बही अद्यतन नहीं रखकर वित्तीय अनियमितता बरते जाने से संबंधित है, आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये । उक्त जाँच प्रतिवेदन / अधिगम पर विभागीय पत्रांक 3677, दिनांक 18.10.2016 द्वारा श्री झा से द्वितीय कारण पृच्छा की गई । संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन / अधिगम एवं श्री झा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर की सम्यक् समीक्षा की गई । समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री झा के द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है एवं इनके विरूद्ध आरोप सं.–2 एवं 3 आंशिक रूप से प्रमाणित है, जिसके लिए वे दोषी हैं ।

3– अतएव प्रमाणित आरोपों के लिए श्री संजय कुमार झा, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, अररिया सम्प्रति निलंबित को निन्दन की सजा एवं संचयी प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड संसूचित किया जाता है तथा उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है ।

4– श्री झा को निलंबन से मुक्त किया जाता है । निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई राशि देय नहीं होगी परन्तु निलंबन अवधि की सेवा को पेंशन प्रयोजनार्थ गिनी जायेगी ।

6– इस आदेश में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है ।

5– निलंबन मुक्त होने के पश्चात् श्री झा, स्थापना शाखा (प्रशाखा–1), सहकारिता विभाग, बिहार, पटना में अपना योगदान देंगे, जहाँ से इनके पदस्थापन की कार्रवाई की जायेगी ।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

ह० / –

(राजेन्द्र राम)
सरकार के उप सचिव (निगरानी)

ज्ञापांक.../ पटना, दिनांक.........................

8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय–705/2015

प्रतिलिपि :– उप सचिव, (ई–गजट) कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो हार्ड कॉपी एवं एक सॉफ्ट कॉपी (सी॰डी॰) सहित बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

ह॰/–

सरकार के उप सचिव (निगरानी)

ज्ञापांक.../ पटना, दिनांक.........................

8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय–705/2015

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह॰/–

सरकार के उप सचिव (निगरानी)

ज्ञापांक.../ पटना, दिनांक.........................

8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय–705/2015

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार, पटना /प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना / सभी (प्रधान सचिव/सचिव एवं विभागाध्यक्ष)/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी / माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव / सभी अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/ सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंकेक्षण सहित)/ सभी उप–निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना /सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी / सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ / राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, आई॰सी॰डी॰पी॰, पटना / सभी शीर्ष सहकारी संस्थान / प्राचार्य, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर / कोषागार पदाधिकारी, अररिया / सभी पदाधिकारी (सचिवालय एवं निबंधक प्रभाग) / प्रशाखा–1 एवं 8 सहकारिता विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह॰/–

सरकार के उप सचिव (निगरानी)

ज्ञापांक.../ पटना, दिनांक.........................

8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय–705/2015

प्रतिलिपि :– निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 3230, दिनांक 29॰05॰2015 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह॰/–

सरकार के उप सचिव (निगरानी)

ज्ञापांक.../ पटना, दिनांक.........................

8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय–705/2015

प्रतिलिपि :– श्री संजय कुमार झा, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, अररिया, मुख्यालय–कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह॰/–

सरकार के उप सचिव (निगरानी)

ज्ञापांक......274../ पटना, दिनांक 24·01·17

8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय–705/2015

प्रतिलिपि :– सरकार के उप सचिव–सह–लोक सूचना पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी कम्प्यूटर सेल, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

24·1·17

सरकार के उप सचिव (निगरानी)

24-1-17